"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2016— अग्रहायण 2, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2016. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 88 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य निष्पादित पारस्परिक यातायात समझौता संबंधी अधिसूचना क्र. 5-58/दो/आठ-परि/2007, दिनांक 2 मार्च, 2007 के परिशिष्ट-अ में निम्नलिखित और संशोधन प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी-ब्लाक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट-अ में,-

(एक) सरल क्रमांक 5 में, मार्ग से संबंधित कॉलम में, शब्द "बी.आर.एम." का लोप किया जाये;

(दो) सरल क्रमाक 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	मार्ग	दूरी कि.मी. में		कुल दूरी कि.मी. में	एकल फेरा की संख्या	कुल संचालन छत्तीसगढ़ में कि.मी. में	परमिट की संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
"15	चंद्रपुर से रायपुर व्हाया मूल, बी. आर. एम. कुरखेड़ा	267 महाराष्ट्र	137 छत्तीसगढ़	404	4	548	4
16	चंद्रपुर से राजनांदगांव	218 महाराष्ट्र	74 छत्तीसगढ़	292	4	296	4"

No. F 5-12/VIII-Tran./2016.— The following further draft to amend the Annexure-A of Reciprocal Transport Agreement executed between the States of Chhattisgarh and Maharashtra for which the Notification No. F 5-58/two/eight-Tra/2007, dated 2nd March, 2007, the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said notification, in the Annexure-A,-

(i) in serial number 5, in column relating to route, the word "B.R.M." shall be omitted;

(ii) after serial number 14, the following shall be added, namely :-

Sr. No.	Route	Distance in kms.		Total Distance in kms.	Number of single trips	Total operation in Chhattisgarh in kms.	Number of permits
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
"15	Chandrapur to Raipur Via Mul, B.R.M., Kurkheda	267 Maharashtra	137 Chhattisgarh	404	4	548	4
16	Chandrapur to Rajnandgaon	218 Maharashtra	74 Chhattisgarh	292	4	296	4"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.